भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चत्तर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4590

उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019

आईसीएचआर

4590: श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किरू

(क) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) को पुनर्गठित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मौजूदा पुनर्सृजित/पुनर्गठित आईसीएचआर के घटकों और पुनर्गठित परिषद का कार्यकाल का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आईसीएचआर संगोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला आदि आयोजित कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जिसमें सम्मानित इतिहासकारों को बुलाकर इतिहास संबंधी विचारों को साझा किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जारी निधि की मात्रा कितनी है; और

(च) क्या भारत सरकार विश्व के कई देशों के साथ इतिहासकारों के मध्य विचार विनियम हेतु सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरु कराने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) भारत सरकार ने निम्नलिखित लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ वर्ष 1972 में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), दिल्ली की स्थापना की:

(i) इतिहास के विभिन्न पहलुओं में निष्पक्ष और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना ।

(ii) इतिहास अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रायोजित करना और इतिहास शोध में लगे हुए संस्थानों और संगठनों की सहायता करना।

(iii) इतिहास अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय करना।

(iv) इतिहास अनुसंधान की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और उपेक्षित और नए क्षेत्रों, जहां अनुसंधान को विशेष रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है, को इंगित करना।

(ख) से (ग): जी, हाँ। आईसीएचआर, नई दिल्ली, 1972 के नियमों के नियम 3 के अनुसार, सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली की परिषद का पुनर्गठन तीन साल की अवधि जो कि पुनर्गठित परिषद की पहली बैठक की तारीख यानी 07.01.2019 से 06.01.2022 तक के लिए किया है।। पुनर्गठित परिषद का संयोजन अनुलग्नक-I पर है।

(घ) से (ङ): जी, हाँ। आईसीएचआर अपने अनुसंधान वित्तपोषण नियमों के अनुसार इतिहास के विशिष्ट विषयों से संबंधित संगोष्ठियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं या अकादमिक सम्मेलनों के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या और प्रदान की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या	प्रदान की गई निधि (राशि रूपए में)
2016-17	118	60,90,792
2017-18	128	1,49,03,281
2018-19	60	1,09,37,983
2019-20	16	30,46,355

(च): आईसीएचआर ने अपने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत इतिहासकारों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए निम्नलिखित देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं:

क्र. सं.	देश	समझौता ज्ञापन में शामिल निकाय	समझौता ज्ञापन की हस्ताक्षर तिथि
(i)	यू.के	आर्ट्स एंड ह्यूमयनिटीज़ कॉउन्सिल यू.के (एएचआरसी)	13.10.2014
(ii)	जापान	जापान सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ़ साइन्स (जेएसपीएस)	01.09.2014
(iii)	जर्मनी	डॉयचे फोर्शचुंगसैमिंसचफ्ट (जर्मन रिसर्च फाउंडेशन, डीएफजी)	31.07.2012
(iv)	जॉर्जिया	कोर्नेली केकेलिडेज़ जॉर्जिया नेशनल सेंटर ऑफ़ मैनुस्क्रिप्टस	03.12.2018

*****

अनुलग्नक – I

'आईसीएचआर' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा दिनांक 22.07.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 4590 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (आईसीएचआर), दिल्ली की पुनर्गठित परिषद् का वर्तमान संयोजन निम्नलिखित है:

I. डॉ. अरविंद पी. जामखेडकर	डॉ. अरविंद पी. जामखेडकर ने दिनांक 05.03.2018 से 3 वर्षों की अवधि के लिए आईसीएचआर के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

II. भारत सरकार द्वारा नामित 18 इतिहासकार

i. प्रो. (सेवानिवृत्त) विभा उपाध्याय, विभाग इतिहास और भारतीय संस्कृति विभाग में, राजस्थान विश्वविद्यालय
ii. डॉ. सुरजीत कौर जॉली, पूर्व प्रिंसिपल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
iii. प्रो (सेवानिवृत्त) सी आई आईजैम, पी.जी. इतिहास विभाग, सी.एम.एस. कॉलेज, कोट्टायम, केरल
iv. प्रो. कपिल कुमार, निदेशक, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल स्टडीज एंड चेयरपर्सन, इतिहास संकाय, इग्नू
v. प्रो. (डॉ.) उमेश कदम, प्रोफेसर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जेएनयू
vi. डॉ. श्रीधर मधुकर उर्फ राजा दीक्षित, पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख, इंटर डिसिप्लिनरी स्कूल (मानविकी और सामाजिक विज्ञान), सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय, पुणे
vii. प्रो. रघुवेंद्र तंवर, प्रोफेसर और डीन अकादमिक मामले, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा
viii. प्रो. अमरजीवा लोचन, उप-अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
ix. प्रो. (सेवानिवृत्त) सुमन जैन, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग
x. प्रो. तमो मिबंग, पूर्व कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश।
xi. प्रो. (सेवानिवृत्त) वी किशन राव, प्राचीन इतिहास विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय
xii. प्रो.बैद्यनाथ लाभ (प्रोफेसर, बौद्ध अध्ययन विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू) कुलपति, नव नालंदा महाविहार (डीम्ड विश्वविद्यालय), बिहार

xiii. प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी, प्रोफेसर, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

xiv. डॉ. ईश्वर शरण विश्वकर्मा, प्राचीन इतिहास विभाग, डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

xv. डॉ.एम. कोत्रेश, प्रोफेसर, पी.जी. अध्ययन एवं इतिहास और पुरातत्व अनुसंधान, तुमकुर विश्वविद्यालय, कर्नाटक

xvi. प्रो. सरदिन्दु मुखर्जी, सी -209, आईएलए अपार्टमेंट्स, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली

xvii. प्रो. रहमान अली, प्रमुख (सेवानिवृत्त), प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व अध्ययन स्कूल, और पूर्व डीन, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (एमपी)

xviii. राजीव रंजन, इतिहास विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना.

III. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

IV. महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

V. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

VI. भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले चार व्यक्तियों के नाम निम्नांकित है:

(i) शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि: संयुक्त सचिव (आईसीआर)

(ii) संस्कृति विभाग का एक प्रतिनिधि: सचिव (संस्कृति)

(iii) वित् मंत्रालय का एक प्रतिनिधि.

(iv) सदस्य सचिव, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

****